न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 33/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुरताराम पुत्र उदाराम जाट निवासी ग्राम जाजीवाल खीचियां, तहसील व जिला जोधपुर		1. गीता पत्नी कालुसिंह माली निवासी रावला बेरा, मंगरा पूंजला, तह0 व जिला जोधपुर 2. भींयाराम पुत्र उदाराम जाट निवासी ग्राम जाजीवाल खीचियां, तह0 व जिला जोधपुर 3. हेमाराम पुत्र प्रतापराम 4. निम्बाराम पुत्र प्रतापराम 5. प्रेमप्रकाश पुत्र प्रतापराम 6. भंवरी पुत्री प्रतापराम 7. कमला पुत्री प्रतापराम 8. हीरादेवी पत्नी प्रतापराम पटेल, निवासी ग्राम लोरडी पण्डित जी, तह0 व जिला जोधपुर 9. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 60/2023 आदेश दिनांक 15.1.24

उपस्थिति –

1. श्री बाबूलाल गोरा वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 की ओर से
3. रेस्पो0सं0 1 से 8 बावजूद सूचना एवं नोटिस के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया—रेस्पो0सं0 1—गीता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128, राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील जोधपुर के ग्राम जाजीवाल खिचियान के चक नम्बर 1 स्थित अपने खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नं0 26/13 रकबा 3 बीघा भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थीया—रेस्पो0सं0 1 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर पत्थर सीमांकन करवाने का आदेश पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 से 8 बावजूद सूचना व नोटिस के अनुपस्थित रहने से बहस एकतरफा सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नं0 26/13 रकबा 3 बीघा का पत्थर सीमांकन करवाने हेतु आग्रह किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल अथवा सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार कर लिया गया। ख0नं0 26/13 मूल रूप से ख0नं0 26/2 का एक भाग है। खसरा नं0 26/2 व 26/13 की भूमि रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया–गीता द्वारा पूर्व में ही मोती पटेल वगैरा को बेचान कर दी थी। जो नामान्तरकरण सं0 783 दिनांक 3.11.23 से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस दिन पेश किया गया, उस दिन उक्त भूमि की न तो वह खातेदार थी एवं न ही उस पर काबिज थी। प्रार्थीया ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्थानीय भूमाफियों की साठ–गांठ से अवैधानिक एकतरफा आदेश पारित करवा लिया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्डरटेकिंग प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाने का नोंट अंकित आदेशिका में किया गया था, जिन्हें प्रा0प0 की प्रति उपलब्ध करवाये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट के खातेदारी कब्जाकाश्त व मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम जाजीवाल खीचिया के खसरा नं0 24/1 रकबा 23.12 बीघा है, जिसमें रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु खसरा नं0 26/2 व 26/13 में से वर्षो पुराने चलायमान कदीमी रास्ते को सार्वजनिक घोषित कराने बाबत अंतर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर के समक्ष राजस्व प्रकरण सं0 10/2023 अनवान सुरताराम बनाम सम्पतसिंह पेश किया हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रा0प0 में अपीलांट के पक्ष में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण द्वारा बनाये रखने तथा चलायमान रास्ता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। उक्त प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 4.1.24 नियत की गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक आधार व बिना कोई प्रभावित पक्षकार के प्रार्थना पत्र व वकालतनामें अथवा सुनवाई के बिना उक्त प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 4.1.24 से दिनांक 26.12.23 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रखकर विधिविरूद्ध तरीके से पूर्व पारित स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया। क्योकि प्रार्थीया–रेस्पो0सं0 1 के पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश नही की जा रही थी तथा अन्य भूमाफियाओं द्वारा कदीमी रास्ता में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2024 को खारिज करते हुए, उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में अन्य भूमाफियाओं द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में लगभग 10 फीट अन्दर की तरफ जबरदस्ती निकाली गई दीवार को हटाने तथा मौके पर पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 9 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संधारित आदेशिका के अनुसार प्रार्थीया–रेस्पो0सं0 1–गीता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2023 को दर्ज रजिस्टर कर आगामी तारीख पेशी 6.12.23 नीयत की गई। इसके उपरांत लगभग 7–8 दिनों के अंतराल से 5 पेशीयों में ही अप्रार्थीगण के जवाब बंद कर, इनकी ओर से जवाब खोलने का प्रार्थना स्वीकार किये जाने का औचित्य नही होने से खारिज करते हुए, दिनांक 02.01.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त आदेश अप्रार्थीगण की सुनवाई एवं जवाब के बिना पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.204 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर